

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20112021-231266
SG-DL-E-20112021-231266असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 258
No. 341]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943	[N. C. T. D. No. 258

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

संख्या 22/2021-राज्य कर

सं.फा. 3(118)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/317.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, माह जून, 2021 से, प्ररूप जीएसटीआर-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता के लिए, उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो कि पच्चीस रुपये प्रतिदिन से अधिक है का अधित्यजन करती है:

परंतु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कुल देय विलंब फीस कि राशि को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, माह जून, 2021 से, नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-7 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जो एक हजार रुपये से अधिक है का अधित्यजन किया जाता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव-I (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2021

No. 22/2021– State Tax

No. F.3(118)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/317.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, for failure to furnish the return in **FORM GSTR-7** for the month of June, 2021 onwards, by the due date, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by such registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-7** for the month of June, 2021 onwards, by the due date, shall stand waived which is in excess of an amount of one thousand rupees.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. I (Finance)